न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 05/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/61

अपीलान्ट

कल्लाराम पुत्र कालूराम, जाति जाट, निवासी दाबडीया, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. अर्जुन राम पुत्र श्री हजारी राम, जाति जाट, निवासी सुन्दरीया की ढ़ाणी दाबडीया, तहसील मकराना।
2. तिजू देवी पत्नी हजारीराम जाति जाट निवासी सुन्दरीया की ढ़ाणी दाबडीया तहसील मकराना।
3. कमला पुत्री हजारी राम पत्नी गणपतराम जाति जाट निवासी कुत्यासणी तहसील डेगाला जिला नागौर।
4. जेठी देवी पुत्री हजारी राम पत्नी रामदेवराम जाति जाट निवासी जांजीला तहसील परबतसर।
5. सचिव ग्राम पंचायत बेसरोली तहसील मकराना।
6. सरपंच ग्राम पंचायत बेसरोली ग्राम बेसरोली तहसील मकराना।
7. ग्राम विकास अधिकारी हुडिया तहसील मकराना।
8. सरपंच ग्राम पचांयत हुडीया ग्राम हुडीया तहसील मकराना।

<u>पुनःरिक्षण याचिका विरूद्ध निर्णय व प्रस्ताव दिनांक 06..01.1990 सरपंच ग्राम पंचायत बेसरोली पंचायत समिति मकराना जिसके द्वारा हजारीराम पुत्र बालूराम जाट के नाम कृर्षि भूमि में से 1465 वर्ग गज जमीन का पट्टा संख्या 07 जारी करने का प्रस्ताव लिया व पट्टा जारी किया को निरस्त करने बाबत्।</u>

–:निर्णयः–

दिनांक : 12.11.2025

प्रार्थी की ओर से निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस इस प्रकार है कि :–

ग्राम दाबड़िया पटवार हल्का हूड़िया तहसील मकराना में प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसका अभी तक मौके पर बटवारा नहीं हुआ है।

अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पि[illegible] हजारीराम पुत्र बालूराम जाट ने दिनांक 21.07.1989 को ग्राम पंचायत बेस[illegible] में [illegible]ना पत्र पेश कर पट्टा संख्या 07 मिसल संख्या 07 दिनांक 06.01.1990 को ह[illegible]राम के नाम से 13158 वर्गफुट का पट्टा जारी हुआ है। जो एक फर्जी पट्टा है। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

अतः श्रीमान के समक्ष पुनःरीक्षण याचिका पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की पुनःरीक्षण याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बेसरोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 06.01.1990 जो हजारीराम पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी ग्राम दाबडिया के नाम से जारी हुआ है व फर्जी होने से निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्रांक कोर्ट/2025/275 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा तहसीलदार मकराना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मकराना के पत्रांक कोर्ट/2025/781 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार मकराना के पत्रांक कोर्ट/2025/56 दिनांक 04.09.2025 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति मकराना को पत्र लिखा गया। विकास अधिकारी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत बेसरोली द्वारा कृषि भूमि में पट्टा जारी करने से सम्बन्धित है। चूंकि उक्त प्रकरण में कृषि भूमि का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है। तत्पश्चात् इस बाबत् भू अभिलेख निरीक्षक मनाना एवं पटवारी हलका हुड़िया को प्रकरण की जाँच हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्मिकों द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया गया कि ग्राम दाबड़िया के खसरा संख्या 289 रकबा 1.6673 हैक्टेयर गै.मु. ढ़ाणी निजी खातेदारों के नाम दर्ज है। पट्टे की छाया प्रति में खसरा संख्या का उल्लेख नहीं है एवं पट्टे से सम्बन्धित मिसल संख्या 07 के संदर्भ में कार्यालय ग्राम पंचायत बेसरोली द्वारा खण्ड विकास अधिकारी मकराना को प्रेषित पत्र क्रमांक ग्रा.प./बेसरोली/2024/25 दिनांक 05.08.2024 अनुसार दिनांक 21.07.1989 को जारी पट्टा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कार्यालय बेसरोली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार जारी पट्टा की कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध होना बताया गया है एवं इसके अलावा अन्य दस्तावेज यथा मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया गया है और कार्यालय की रोकड़ बही में रसीद संख्या व राशि दर्ज नहीं होना बताया है। चूंकि प्रकरण में पट्टे पर खसरा संख्या दर्ज नहीं है एवं मिसल व अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है जिससे प्रकरण में जाँच सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 289 रकबा 1.6673 हैक्टयेर गैरमुमकिन ढाणी निजी खातेदारों के नाम दर्ज है। उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत बेसरोली में पट्टे की मुल प्रति उपलब्ध है एवं इसके अलावा अन्य दस्तावेज यथा मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर तथा कार्यालय की रोकड़ बही में रसीद संख्या व राशि दर्ज नहीं हैं। पट्टे में खसरा संख्या भी दर्ज नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त पट्टा संदेहास्पद होने के कारण पट्टा संख्या 07 मिसल संख्या 07 दिनांक 06.01.1990 को जारी पट्टा निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:40 IST
Reason: SelfAttested

12.11.2025
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन